

भारत सरकार  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2105

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

नए ईएसआई अस्पतालों की स्थापना

2105. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2014-15 से 2017-18 के दौरान स्वीकृत किए गए ईएसआई अस्पतालों और उनके अंतर्गत आवंटित धनराशि सहित अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्या है;
- (ख) कर्नाटक के शिमोगा जिले में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि सहित इसकी मौजूदा स्थिति का विवरण क्या है; और
- (ग) राज्यों के द्वारा अपने राज्यों में ईएसआई अस्पताल के निर्माण हेतु जिन समर्थनों को दिए जाने की आवश्यकता है उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

- (क) वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान, ईएसआई निगम ने 22 ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए "सैद्धान्तिक रूप से" अनुमोदन प्रदान किया है, जिसकी सूची अनुबंध-1 में संलग्न है। उपर्युक्त स्वीकृत अस्पतालों के लिए आवंटित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।
- (ख) कर्नाटक राज्य सरकार को भूमि का आवंटन करना अभी बाकी है। इस परियोजना हेतु राशि अभी आवंटित होनी है।
- (ग) राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्यों में स्थापित होने वाले प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण हेतु ईएसआईसी को निशुल्क अथवा टोकन मूल्य पर आवश्यकता के अनुसार उचित भूमि प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुबंध-I

नए ईएसआई अस्पतालों की स्थापना से संबंधित श्री बी.वाई. राघवेन्द्र द्वारा 24.12.2018 के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2105 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

2014-15 से 2017-18 के दौरान स्वीकृत ईएसआई अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थल
1	गुजरात	अलंग
2	मध्य प्रदेश	पीथमपुर
3	झारखंड	देवघर
4	गोवा	उत्तर गोवा
5	छत्तीसगढ़	रायगढ़
6	ओडिशा	ईएसआईसी एसएस अस्पताल, भुवनेश्वर
7	ओडिशा	अंगुल
8	ओडिशा	दुबुरी
9	राजस्थान	बीकानेर
10	राजस्थान	उदयपुर
11	कर्नाटक	शिवमोगा
12	कर्नाटक	बेल्लारी
13	हरियाणा	बहादुरगढ़
14	हरियाणा	बावल
15	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी
16	पश्चिम बंगाल	हल्दिया
17	तेलंगाना	रामगुंडम
18	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
19	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम
20	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा
21	आंध्र प्रदेश	पेनुकोंडा
22	केरल	पेराम्बवूर

## अनुबंध-II

नए ईएसआई अस्पतालों की स्थापना से संबंधित श्री बी.वाई. राघवेन्द्र द्वारा 24.12.2018 के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2105 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

2014-15 से 2017-18 तक स्वीकृत ईएसआई अस्पतालों का विवरण जिसमें आवंटित निधि शामिल है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थल	आबंटित निधि/स्वीकृत मूल्य
1.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	निधियां आबंटित की जानी है।
2.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	निधियां आबंटित की जानी है। निर्माण-पूर्व क्रिया-कलापों के लिए 25 लाख रुपये की राशी जारी की गई है।
3.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	निधियां आबंटित की जानी है।
4.	आंध्र प्रदेश	पेनुकोडा	निधियां आबंटित की जानी है।
5.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	निधियां आबंटित की जानी है।
6.	गोवा	उत्तर गोवा	निधियां आबंटित की जानी है।
7.	गुजरात	अलंग	निधियां आबंटित की जानी है।
8.	हरियाणा	बहादुरगढ़	निधियां आबंटित की जानी है।
9.	हरियाणा	बावल	निधियां आबंटित की जानी है।
10.	झारखंड	देवघर	निधियां आबंटित की जानी है।
11.	कर्नाटक	शिवमोगा	निधियां आबंटित की जानी है।
12.	कर्नाटक	बेल्लारी	निधियां आबंटित की जानी है।
13.	केरल	पेराम्बवूर	निधियां आबंटित की जानी है।
14.	मध्य प्रदेश	पीथमपुर	निधियां आबंटित की जानी है।
15.	ओडिशा	ईएसआईसी एसएस अस्पताल, भुवनेश्वर	निधियां आबंटित की जानी है।
16.	ओडिशा	अंगुल	64.47 करोड़ रुपये
17.	ओडिशा	दुबुरी	निधियां आबंटित की जानी है।
18.	राजस्थान	बीकानेर	निधियां आबंटित की जानी है।
19.	राजस्थान	उदयपुर	80.01 करोड़ रुपये
20.	तेलंगाना	रामगुंडम	निधियां आबंटित की जानी है।
21.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	59.47 करोड़ रुपये
22.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	57.17 करोड़ रुपये

\*\*\*\*\*